न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः 175/2015 (जीसीएमएस 2015/00124)

01. लालचन्द पुत्र बालूराम,
02. आनन्दीलाल पुत्र बालूराम,
03. नन्दलाल पुत्र पप्पू,
04. ओमप्रकाश पुत्र गोवर्धन, समस्त जाति कुमावत निवासी आष्टीकलां, तन बरगड़ों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
05. रघुनाथ पुत्र कालूराम,
06. पेमाराम पुत्र कालूराम,
07. रामलाल पुत्र कालूराम समस्त जाति जाट निवासी आष्टीकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-----अपीलांट्स

बनाम

01. सीताराम पुत्र भूदा,
02. लक्ष्मण पुत्र बंशीधर,
03. श्रवण पुत्र बंशीधर,
04. राजेन्द्र पुत्र बंशीधर,
05. मोहन पुत्र श्यामलाल, समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी बागड़ों का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
06. शंकर पुत्र हनुमान,
07. रघुनाथ पुत्र हनुमान, समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
08. विष्णु पुत्र हनुमान,
09. रामप्रसाद पुत्र सुवा,
10. चौथमल पुत्र सुवा, समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आष्टीकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. गोर्वधन पुत्र रामचन्द,
12. गोपाल पुत्र गौरु,
13. रिछपाल पुत्र गौरु,
14. सुभाश पुत्र गौरु,
15. तीजा देवी पत्नी गजेन्द्र प्रसाद, समस्त निवारीयान ग्राम आष्टीकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-----रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व तथ्य पत्रावली मुकदमा हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अदालत ने बिना पक्षकारन की सहमति के लोक अदालत में मजमेंआम में प्रार्थना–पत्र का लोक अदालत को कैम्प कोर्ट मानकर ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर गुण दोषों के आधार पर निर्णित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ अदालत ने इस विषय पर गौर नहीं किया कि नियमित डिस्तुट का निस्तारण बिना पक्षकारान के सुनवाई का अवसर दिये गुण दोषों के आधार पर निर्णित कर गलती की है क्योंकि कि अधीनस्थ अदालत ने इस विषय पर गौर नहीं किया कि धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को मौजूदा सर्वे मैप के आधार पर बाउण्ड्री डिस्पुट तय करने का अधिकार है, प्रकरण में मौजूदा सर्वे मैप की दुरुस्ती हेतु अपीलांट ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत भू–प्रबंध के दौरान नक्शे व कब्जे के मुताबिक दुरुस्त करने की प्रार्थना कर रखी हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ अदालत ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलांट के खसरा नं. 868 से 873 रकबा 3.74 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे में कब्जे व पूर्व नक्शे के अनुसार बनाये जाने का आनन्दीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना–पत्र पेश कर रखा है, उक्त प्रार्थना–पत्र में अपीलांट ने निवेदन किया है कि खसरा नं. 868 से 873 रकबा 3.74 हैक्टेयर वाके मौजा आष्टीकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के राजस्व नक्शे को कब्जे व रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त करने के आदेश फरमावें। इस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के बिना अधीनस्थ अदालत को मौजूदा सर्वे नक्शा के आधार पर प्रार्थना–पत्र के निस्तारण का अधिकार नहीं था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश पारित करते समय मौजूदा सर्वेक्षण नक्शा व वास्तविक कब्जे को मद्देनज़र न रखकर केवल सीमाज्ञान 13.06.2010 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि सीमाज्ञान के आधार पर अपीलाधीन आदेश लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को पेश करने का अधिकार नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश में सीमाज्ञान 13.06.2010 को आधार माना है, सीमाज्ञान रिपोर्ट से विदित है कि सीमाज्ञान पटवारी ने मौके पर नहीं किया है, पटवारी के हस्ताक्षरों पर सीमाज्ञान की तारीख 13.06.2010 है, जबकि तथाकथित गवाहान जो रेस्पोडेंट्स के ही व्यक्ति है, के हस्ताक्षर 16.06.2010 के कराये है, ग्राम प्रतिहारी के हस्ताक्षर 16.06.2010 कराये है, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर 13.06.2010 को कोई सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं हुई हैं एवं सीमाज्ञान के पूर्व पड़ोसी खातेदारान अपीलांट को नोटिस नहीं दिया, न अपीलांट या स्वतंत्र गवाह सीमाज्ञान के समय मौजूद था। उन्होनने कथन किया है कि तथाकथित सीमाज्ञान के समय भूमि की कोई पैमाईश नहीं की गई, न सीमाज्ञान का नक्शा बनाया गया, सीमाज्ञान में किसी मुस्तिकल पॉईन्ट का इन्द्राज भी नहीं किया गया जिससे तथाकथित रिपोर्ट सीमाज्ञान की तारीफ में नहीं आती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सीमाज्ञान में खसरा नं. 863 व 840 को आपस में टकराना अंकित किया है, जिसका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट नहीं किया है कि सीमाज्ञान किस आधार पर किया गया हैं एवं तथाकथित

P.T.O.

सीमाज्ञान में 840, 849, 863, 872, 940 चाह का उल्लेख है, मगर ऐसे कोई कुएं राजस्व मैप में दर्शित नहीं हैं, भू–प्रबंध के पहले को कोई मुस्तकिल पॉईन्ट सीमाज्ञान का आधार नहीं बनाया हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व नक्शे में खसरा नं. 872 रोड़ का खसरा है, मौके पर डामर रोड़ बनी है, उसको भी सीमाज्ञान का आधार नहीं बनाया गया हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ अदालत ने इस विषय पर भी गौर नहीं किया है कि अपीलांट का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 3.74 हैक्टेयर है और अपीलांट का कब्जा भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि से ज्यादा पर नहीं हैं, अपीलांट के रकबा के उत्तर में स्थित भूमि का सीमाज्ञान 20.05.2015 को किया गया है, उसमें भी अपीलांट का कब्जा स्वयं की भूमि पर की माना हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ अदालत को मात्र एकपक्षीय तथाकथित सीमाज्ञान के आधार पर गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण को निर्णित करने का अधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ अदालत ने पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान के अनुसार बिना कब्जे को देखे करने का आदेश पारित किया हैं जो विधि विधान, न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 867/2403 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 871/2402 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 864 रकबा 11.68 हैक्टयर ग्राम आष्टीकलं तहसील चोंमू जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजीयात तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमिया है, रेस्पोडेन्ट में से कुछ रेस्पोडेन्ट उक्त भूमियों से दूर निवास कर काश्त कार्य करने अपनी भूमियों पर आते–जाते है तथा लगान सरकार को अदा करते आ रहे है, उक्त भूमियों में बोई गई फसलों को आवारा गाये, जानवर पशु आये दिन नुकसान कारित करते है भूमि पर उत्पादन होने वाले फसलों सब्जी मे मेवेशी प्रवेश कर खडी फसलों को नुकसान पहॅूचाते है तथा पड़ौसी खातेदार सींव डोल फोडते रहे है तथा अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेन्ट की भूमि में पशुओं को प्रवेश कराना चाहते है जिस कारण रेस्पोडेन्ट अपनी तन्हो कब्जे काश्त की कृषि को आवास गायों पशुओं से रक्षा करने एवं आस–पडौसियों से झगड़ा नही हो इसलिये दिनांक 13.06.2010 को तहसीलदार चौंमू के आदेश क्रमांक 10/16 दिनांक 26.04.2010 के अनुसार भूमियों का सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उक्त भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2010 अनुसार पत्थरगढी करवाई जाकर कांटेदार तार बाउण्ड्रीवाल करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट कानूनन अधिकारी है इसलिये रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक तौर पर परीक्षण

करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम आष्टीकलां के आराजी खसरा नम्बरान 867/2403, 871/2402, 944, एवं 864 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी एवं उसमें बोई गई फसलों की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2010 को किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर